

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3445

जिसका उत्तर गुरुवार, 25 मार्च, 2021 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया जाना

3445 श्री पी. विल्सन:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की भारी कमी देश में न्याय प्रदान करने/लंबित मामलों का निपटान करने में विलंब होने का मुख्य कारण है ;

(ख) यदि हाँ, तो न्यायाधीशों की कमी को पूरा करने के लिए रिक्तियां भरने हेतु सरकार द्वारा किए गए/ किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार की देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने की योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)**

(क) और (ख) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका की अधिकारिता के भीतर आता है । संबद्ध न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान हेतु कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटान में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है । न्यायालयों में मामलों का समय से निपटान विभिन्न कारकों, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की पर्याप्त उपलब्धता, सहयोगकारी न्यायालय कर्मचारिवृन्द और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों, जैसे- बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग भी है, पर निर्भर होता है । तथापि, सरकार मामलों के शीघ्र निपटान हेतु पूर्ण रूप से वचनबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान हेतु पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने हेतु अनेक पहल की हैं । सरकार द्वारा स्थापित न्याय परिदान के लिए राष्ट्रीय मिशन और विधिक सुधार ने न्यायिक प्रशासन में विभिन्न सामरिक

पहलों, जिसके अंतर्गत न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुधार, बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी एकत्र करना और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में रिक्त न्यायाधीशों के पदों को भरना भी है, के माध्यम से बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वयक पद्धति अंगीकृत की है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के क्रमशः, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है । उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में विहित प्रक्रिया के अनुसार, जो उच्चतम न्यायालय के 6 अक्टूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 28 अक्टूबर, 1998 (तीसरा न्यायाधीश मामला) में उनकी सलाहकारी राय के अनुसरण में तैयार की गई थी, उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ संबद्ध उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों का भरा जाना और स्वीकृत पद संख्या से संबंधित मामले राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आते हैं ।

केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्तियों को भरने तथा न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या बढ़ाने के मामले को उठाती रही है । उच्चतम न्यायालय, मलिक मजहर सुल्तान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य मामले में अधीनस्थ न्यायपालिका की भर्ती की मॉनीटरी कर रहा है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना सतत, एकीकृत और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से राज्य और केन्द्र, दोनों स्तर पर, परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । जबकि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतम भरे जाने का प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, न्यायाधीशों के त्यागपत्र या उन्नयन और न्यायाधीशों की पद संख्या में बढ़ोतरी के कारण भी रिक्तियां उद्भूत होती रहती हैं ।

(ग) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोतरी का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
DEPARTMENT OF JUSTICE**

RAJYA SABHA

**UNSTARRED QUESTION NO. 3445
TO BE ANSWERED ON THURSDAY, THE 25TH MARCH, 2021**

INCREASE IN RETIREMENT AGE OF HIGH COURT JUDGES

3445. SHRI P. WILSON:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that acute shortage of judges in various courts of the country is the main reason for delay in delivery of justice / disposal of pending cases in the country;**
- (b) if so, the details of the corrective measures taken/being taken by Government to fill the vacancies to address the shortage of judges; and**
- (c) whether Government has any plan to increase the retirement age of High Court judges to 65 years in the country, if so the details thereof?**

ANSWER

**MINISTER OF LAW AND JUSTICE, COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY
(SHRI RAVI SHANKAR PRASAD)**

(a) & (b): Disposal of pending cases in courts is within the domain of Judiciary. No time frame has been prescribed for disposal of various kinds of cases by the respective courts. Government has no role in disposal of cases in courts. Timely disposal of cases in courts depends on several factors which, inter-alia, include availability of adequate number of judges, supporting court staff and physical infrastructure, complexity of facts involved, nature of evidence, co-operation of stake holders viz. bar, investigation agencies, witnesses and litigants and proper application of rules and procedures. The Government is, however, fully committed to speedy disposal of cases. The Government has taken several initiatives to provide an ecosystem for faster disposal of cases by the judiciary. The National

Mission for Justice Delivery and Legal Reforms established by the Government has adopted a coordinated approach for phased liquidation of arrears and pendency in judicial administration through various strategic initiatives, including improving infrastructure for courts, leveraging Information and Communication Technology for better justice delivery, and filling up of vacant positions of Judges in High Courts and Supreme Court.

The appointment of Judges of the Supreme Court and High Courts are done under Article 124, 217 and 224 of the Constitution respectively. As per procedure prescribed in the Memorandum of Procedure (MoP) for appointment of Judges in the Higher Judiciary, prepared in 1998 pursuant to the Supreme Court Judgement of October 6, 1993(Second Judges case) read with their Advisory Opinion of October 28, 1998 (Third Judges case), the initiation of proposal for appointment of Judges in the Supreme Court vests with the Chief Justice of India, while initiation of proposal for appointment of Judges in the High Courts vests with the Chief Justice of the High Court concerned. The matters relating to sanctioned strength and filling up of the vacancies of judges / judicial officers in District and Subordinate courts fall within the domain of State Governments and the High Courts.

The Central Government has been taking up the matter of increasing the sanctioned strength of judges / judicial officers and filling up of vacancies in District and Subordinate Courts with the State Governments and the High Courts from time to time. Supreme Court is monitoring the recruitment of Subordinate Judiciary in the case of Malik Mazhar Sultan & Another versus U.P. Public Service Commission & Others.

Filling up of vacancies in the High Courts is a continuous, integrated and collaborative process between the Executive and the Judiciary. It requires consultation and approval from various Constitutional Authorities both at state and centre level. While every effort is made to fill up the existing vacancies

expeditiously, vacancies of Judges in High Courts do keep on arising on account of retirement, resignation or elevation of Judges and also due to increase in the strength of Judges.

(c): There is no proposal at present to increase the retirement age of High Court judges.
